न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या– 06 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 128

निगरारीकार	बनाम	गैरनिगरानीकार
भंवरलाल पुत्र श्री रामकुवार जाति स्वामी निवासी भैयाकला तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।		1. सचिव ग्राम पंचायत भैयाकंला पंचायत समिति मकराना जिला डीडवाना–कुचामन। 2. सरपंच ग्राम पंचायत भैयाकंला पंचायत समिति मकराना तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन। 3. ओमप्रकाश पुत्र रामकुवार जाति स्वामी निवासी भैयाकला तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।

पुनरीक्षण याचिका विरूध निर्णय व प्रस्ताव संख्या 24 दिनांक 23.05.1965 सरपंच ग्राम पंचायत भैयाकला पंचायत समिति मकराना जिसके द्वारा जीवणदास पुत्र श्री लिच्छमणदास के नाम का आबादी भूमि में 1350 वर्ग फिट जमीन का पट्टा संख्या 15 जारी करने का प्रस्ताव लिया व पट्टा जारी किया को निरस्त करने बाबत्।

उपस्थितः–

1. श्री अमराराम चौधरी वकील निगरारीकार की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 11.06.2024

निगरानीकार की ओर से निम्न निगरानी प्रस्तुत हैः–

1. ग्राम भैयाकला ग्राम पंचायत भैयाकंला में प्रार्थी की चल एवं अचल सम्पति स्थित है जहां पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 03 की पैतृक व स्वामित्व की चल एवं अचल सम्पती हैं हक व स्वामित्व का एक भुखण्ड स्थित है जो प्रार्थी के हक व स्वामित्व से शुरू से ही है जिसके पडोस व नाप इस प्रकार है उतर में कैलाश सोनी का घर भूजा का नाप 90 फुट दक्षिण में मोहनराम थोरी का घर थाला भूजा का नाप 90 फुट पूर्व आवादी की खाली भूमि भूजा का नाप 60 फुट पश्चिम में आम रास्ता व भूखण्ड का मुख्य द्वार भूजा का नाप 60 फुट उपरोक्त ... पडोस बिच का भूखण्ड प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 03 के ... प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 03 का परिवार उक्त भूखण्ड में पिछले सैकडी वर्षो से रहवास करते आ रहे है जिसका एक पट्टा दिनांक 23.05.1965 को प्रस्ताव संख्या 24 दिनांक 23.05.1965 के द्वारा पट्टा संख्या 15 जारी किया है जो प्रार्थी के पास नहीं है नहीं मूल पट्टा प्रार्थी ने आज

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.19 10:21:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

तक देखा है मात्र पंचायत में रिकोर्ड में प्रार्थी के पिता के नाम का एक पट्टा बना हुआ है जिसकी नकल निगरानी के साथ सलंग्न पेश है।

1. उपरोक्त पडोस व नाप बिच में स्थित मकान व भूखण्ड का कब्जा व स्वामित्व प्रार्थी के पास चला आ रहा है प्रार्थी के पक्ष में पंचायत द्वारा पट्टा भी जारी कर रखा है किन्तु ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते वक्त मौके पर जाकर जाँच नहीं की व मौके पर रास्ता व पडोस में काफी विभिन्नता अंकित कर पट्टा संख्या 15 दिनांक 23.05.1965 गलत बनाया जाकर प्रार्थी के पिता के नाम का जारी किया है जो पट्टा प्रार्थी के जमीन से मेल नहीं खाता जिसको प्रार्थी पंचायत में लिखित में निवेदन किया की पट्टा गलत बना दिया गया है सही पट्टा जारी करने की कृपा करावे किन्तु अप्रार्थीगण ने पट्टा में कोई भी सुधार करने से स्पष्ट मना कर दिया व न्यायालय में जाने की हिदायत के साथ पट्टा वापस लोटा दिया फिर भी प्रार्थी का मकान के फर्जी पडोस व भूजाओं का नाप कम अंकित करते हुए एक फर्जी पट्टा बनाने के आशय से प्रस्ताव व रसिद संख्या अंकित कर सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर कर पट्टा संख्या 15 दिनांक 23.05.1965 बनाया है जो शुरू से ही शुन्य व फर्जी है जिसको प्रार्थी अपने दादा के नाम के पट्टे को निरस्त करवाने का पूर्ण अधिकारी है उक्त फर्जी व कूट रचित पट्टा निरस्त करवाने हेतु यह पुनरीक्षण (रिविजन) याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर पेश की जा रही है जिसके निम्न लिखित आधार है।

2. सर्वप्रथम तो उक्त कथा कथित पट्टा संख्या 15 के पीछे जो नक्शा बनाया गया है उक्त नक्शे में व पडोस व नाप चोक की भूजाओं में सम्बन्धित कोई भी रिकोर्ड ग्राम पंचायत में मिलान नहीं खा रहा है जिस पट्टे का रिकॉर्ड मिलान नहीं खाता हो व मौके व पट्टे में भिन्नता हो जिसमें ग्राम पंचायत के रिकोर्ड में व पट्टे में समान्नता नहीं पाई जाती तो उस पट्टे का अस्तित्व ही नहीं रह जाता है पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

3. तथा कथित फर्जी पट्टे में अंकित मिशल संख्या नहीं है रसिद संख्या नहीं है दिनांक 23.05.1965 व पट्टा संख्या 15 दिनांक 23.05.1965 ग्राम पंचायत भैयाकला के रिकोर्ड में मात्र पट्टा की परती उपलब्ध है पट्टे से सम्बन्धित अन्य पत्रावली मिशल संख्या व मिशल नहीं है नहीं प्रार्थी के पास मूल पट्टा है जिससे भी पट्टा संख्या 15 दिनांक 23.05.1965 जो प्रार्थी के पिता जिवणदास पुत्र लिच्छमणदास के नाम का बना है जो प्रथम दृष्टया फर्जी व शून्य है।

4. विवादीत पट्टे में अंकित भूजाओं का नाप व पडोस व मुख्य रूप से रास्ता का अंकन नहीं होने से व मुख्य द्वार किस दिशा में खुलता है का अंकन नहीं होने से साफ जाहीर होता है की अप्रार्थीगण ने बिना मौका दे[illegible]त भवन में बैठ कर फर्जी पट्टा तैयार किया है अप्रार्थी [illegible] व पडोस का सही ज्ञान कतई नहीं है क्योंकि अप्रार्थी[illegible] पर कभी गये [illegible] नहीं।

5. प्रार्थी के पास मूल पट्टा नहीं है जिसकी प्रार्थी ने पट्टा खोने से सम्बन्धित अखबार में भी आपती सूचना जारी करवाई थी जिसकी परती सलंग्[illegible] निगरानी पेश है मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.19 10:21:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

पट्टे के बिना नहीं तो प्रार्थी अपने पट्टे का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है नहीं पंचायत में उक्त पट्टे से सम्बन्धित कोई रिकोर्ड है व वारिस सम्बन्धित विवाद होने के कारण उक्त पट्टे का नामान्तरण भी सम्भव नहीं है विवादीत पट्टे के स्थान पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 03 के पक्के मकानात बने हुए है जिनकी भूजाओं का नाप 90 गुणा 30 के दो भूखण्ड है इस प्रकार सम्पूर्ण भूखण्ड 90 गुणा 60 = 5400 वर्ग फुट का भुखण्ड है जबकि विवादीत पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

6. प्रार्थी के मकान का जो पट्टा संख्या 15 बना है उसकी नकल लेकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रार्थी उपंजियक कार्यालय गच्छिपुरा पहुँचा तो वहा पर रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त पट्टे में आयी त्रुटी व गलतीयों का व मूल पट्टे के अभाव में प्रार्थी ग्राम पंचायत में जाकर पट्टे को दूबारा बनाने का निवेदन किया तो ग्राम पंचायत ने असमर्थता जाहिर की कथा–कथित फर्जी पट्टे की आड में प्रार्थी को अप्रार्थीगण व अन्य लोग परेशान व हेरान करेंगे जिसको रोकने के लिए उक्त पट्टे को निरस्त करवाया जाना न्यायहीत में बहूत ही जरूरी है मजबुरी वंश श्रमान् के समक्ष यह रिविजन अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के तहत पेश है।

अतः श्रीमान् के समक्ष पुनरीक्षण (रिविजन) प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भैयाकला द्वारा जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 23.05.1965 जो जीवणदास पुत्र लिच्छमण निवासी भैयाकला के नाम से जारी हुआ है को अवैध व फर्जी होने से निरस्त फरमाया जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि पट्टा संख्या 15 के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 23.05.1965 को प्रस्ताव लिया जाकर जारी किया गया है। जिसका रिकॉर्ड भी पंचायत में संधारित है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार विधिक प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया गया है। रेफरेन्स तभी स्वीकार किया जा सकता है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा विधिक भूल की गई हो। निगरानीकार द्वारा लगभग 60 वर्ष पश्चात निगरानी प्रस्तुत की है जिसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः निगरानीकार की निगरानी आधारहीन व सारहीन होने के कारण खारीज की जाती है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 11.06.2024 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

11/6/24

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.19 10:21:35 IST
Reason: SelfAttested